



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129320

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 20528 / 2026

किशन कुमार.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता: शशि धर शुक्ला

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I,

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 335/2026 धारा 303(2) और 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना-कोतवाली खलीलाबाद, ज़िला-संत कबीर नगर के अंतर्गत ज़मानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। इस मुकदमे के अलावा, आवेदक का चार मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में ज़मानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के प्रस्तर 12 और 13 में बताया गया है। वह दिनांक 04.05.2026 से जेल में बंद है। पुलिस ने आवेदक के पास से 9500 रुपये की झूठी बरामदगी दिखाई है, क्योंकि इस कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र चशमदीद गवाह नहीं है। इस मुकदमे में कोई शिनाख्त परेड नहीं कराई गई है। इन हालात में, यह कहा गया कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। ज़मानत मिलने पर, वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के ज़मानत आवेदन का विरोध किया।
5. अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की संलिप्तता, सज़ा की गंभीरता, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुए और मुकदमे के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किए बिना, मेरी राय में आवेदक के ज़मानत का आधार बनाता है। ज़मानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त वर्णित आपराधिक मुकदमे में संलिप्त आवेदक-किशन कुमार, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो प्रतिभुओं के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए, कि वह:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक, मुकदमे के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iv) आवेदक को तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वे बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके खिलाफ़ धारा 229-A भारतीय दण्ड संहिता(धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप) के तहत कार्रवाई कर सकती है।

(v) अगर विचारण के दौरान आवेदक ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता(धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ कानून के अनुसार धारा 174-A भारतीय दण्ड संहिता(धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) धारा 313 दण्ड

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रक्रिया संहिता (धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप) के अंतर्गत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो न्यायालय इस चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

7. उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I)

22 जून, 2026

आशुतोष

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”